

कार्यालय—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

फॉर्म-/ग्राहनि-4/ २५६२१ -३४

/2020-21

दिनांक: १८/१२/२०२०

प्रबन्धक,

जुगल देवी सरस्वती दिव्या गण्डिर,
प्लाट नं-४, दैनदियाल नगर, कानपुर नगर।

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घटा 18 के प्रयोग के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के तप प्रयोग (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्राप्ति—पत्र।

महेदय,

शासनादेश-३८-७७/अस्थ-३-२०१८-२०१९ बेशिक शिक्षा अनुसार-३ इच्छाक्रम ११ जनवरी २०१९ एवं इच्छाक्रम १०८/बड़स्थ-३-२०२०-२०२१/बेशिक शिक्षा अनुसार-३ में निर्दिष्ट निर्दर्शों के आलोक में अधीजी/उन्हीं माध्यम से उच्च प्राधिकारी की नायता हैं तु आपके आवेदन पत्र और इस अधिकारी के निरीक्षणामाला उपलब्ध कराई यही निरीक्षण आख्या के आलोक में प्रणलीय मान्यता देखी छी वैष्णव नियम १८-१२-२०२० को लिये गए नियम जो आधार पर मैं जुगल देवी सरस्वती दिव्या गण्डिर, प्लाट नं-४, दैनदियाल नगर, कानपुर नगर को ८ से कक्ष ४ तक ले लिये अंदीजी माध्यम ओपरेटर (आख्याई) नायता प्राप्ति एक तरफ ले लिये प्रदान करने की संकृत्वा देता है। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित रूपों के पूरा किये लाने के आधारीन है—

१—मान्यता की मंजूरी विशारामीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्ष ४ के प्रशासन नायता/सचिव करने के लिये कोई साधारण विवेकता नहीं है।

२—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपर्युक्त १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपर्युक्त २) के उपलब्धों वाल पालन करेगा।

३—विद्यालय प्राथमिक कक्षों में बालकों की सभ्यता के २५ प्रतिशत तक आस-पास के कागजों वर्गों और सुविधा विद्येष इन्हें इन्हें कालों के प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा ही जाने तक उपलब्ध करायेगा।

४—१०- ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की घटा-१२ की उप घटा (२)के उपलब्धों के अनुसार प्रतिमूर्ति किया जायेगा।

५—सोसाइटी/विद्यालय किसी कैरियर शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक का उत्तरावधारी के लिये जारी करेगा।

६—विद्यालय किसी बालक को उसकी आगु ला सहूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्काल नहीं करेगा, और वह अधिनियम की घटा-१५ के उपलब्धों का पालन करेगा।

७—प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय ने उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्ष में फैल नहीं किया जायेगा। उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

८. लिंगी भी बालक को सार्विक ढंग या मानरीक उल्लेखन के आधारीन नहीं किया जायेगा।

९. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई ढंग परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

१०. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २६ के अधीन अधिनियम किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

११. अधिनियम के उपलब्ध के अनुसार विद्यालय ग्रस्त / विशेष अदरकलालों वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायगा।

१२. अध्यापकों की गयी अधिनियम की घटा-२३ (१)के अधीन यथा अधिकारित ग्रुप्प अहतजाँ के साथ ली जाती है। इन्हें इन और विद्यालय अध्यापक जिनके गाम इस अधिनियम के प्रसम्म पर न्यूनतम् अहतजाँ नहीं हैं, पांच तर्वे की उम्रदि के भीतर अनुसार अंतिम अर्जित करें।

१३. अध्यापक अधिनियम की घटा २४ (१) के अधीन विर्भाषित अन्वे करत्वाद्वारा का पालन करता है, और

१४. अध्यापक स्वयं को लिंगी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में विस्तृत नहीं करें।

१५—विद्यालय सनुचित प्राविकारी हाला अदिक्षित पाठ्यवस्था के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

१६—विद्यालय अधिनियम की घटा १३ में यथा विर्भाषित विद्यालय के मनकों और सनियोगों को बनाये रखेगा। अनिम्न निरीक्षण के सम्बन्ध स्थिर

की गई प्रत्युत्तरावं निम्नानुसार है—

क्रमांक	विद्यालय में उपलब्ध प्रत्युत्तरावं	विवरण
१	विद्यालय परिसर का ब्रेकरेज	२१२४।। वां ब्रेटर
२	कुल निर्भित दृश्य	२३२२।। वां ब्रेटर
३	गोदा खल वा हैट्रकल	-
४	कक्षों की संख्या	५
५	प्रधानाध्यापक रह वायालय- राज गण्डारानार के लिये कक्ष	२
६	बालक/बालिकाओं के लिये पृष्ठक शैक्षालय	२/२
७	ऐ जल सुखिला	सवारीसंदर्भ वाल उपलब्ध है।
८	वाया रहित पहुँच	वाया रहित पहुँच उपलब्ध है।
९	अध्यापक पत्न सामग्री/क्रौंक रेल-कूद उपस्थिति/पुस्तकालय वा उपलब्धता	उपलब्ध है।

३६

[Signature]

- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर देवालम के नाम से कोई और मान्यता प्राप्त कथाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
- 10-विद्यालय मरवनी या संख्यनाओं या कीला स्थल का प्रयोग बैपल रिका और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के हारा या तद्देश्य प्रत्यक्ष किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास हारा बताया जा रहा है।
- 12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यष्टियों के समूह या संघन या किसी अन्य व्यक्तियों के लाम के लिये नहीं बताया जा रहा है।
- 13-विद्यालय के लेखाओं की किसी वाटर्ड एकार्ट हारा सम्प्रीक्षा ली जानी चाहिये। और उसके हारा प्रमाणित केया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा दिवण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा नियरर की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला विद्या अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14-आपके विद्यालय को आवंटित नाम्यता कोड संख्याक जूडो स्कूल-बॉर्डी/हिन्दी नाम्यम/2020-21/ 12 है। इसका इसे नोट कर दें, और इस कार्यालय के साथ किसी पञ्चांग के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो राज्य-राज्य पर विद्या नियेशक/जिला वैषिक शिक्षा अधिकारी हारा अपेक्षित हो और समृद्धि सरकार/राज्यानीय प्रविकारी के लिये अनुदर्शकों का पालन करता है। जो नाम्यता संघीय शर्तों के शरत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यादि कोई ही तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17- संलग्न उपायक के अनुसार अन्य कोई रहत।

—६—
 (लाल पवन कुमार तिवारी)
 जिला वैषिक शिक्षा अधिकारी
 कानपुर नगर।

पृष्ठ/प्र०५३०-४/२५६२७ -३८ /2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

- 1- विद्या नियेशक (प्र०)उत्तर प्रदेश नियामनांग लखनऊ।
- 2- सैक्षिक वैषिक विद्या परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मन्डलीय जहायक शिक्षा नियेशक (प्र०)कानपुर मन्डल कानपुर।
- 4- जिला शासक लखनऊ अधिलालो कानपुर नगर।
- 5- अल्पसंख्याल लखनऊ अधिकारी कानपुर नगर।
- 6- पिछड़ टर्न कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 7- संबंधित सभा शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
- 8- कार्यालय प्रति।

जिला वैषिक शिक्षा अधिकारी
 कानपुर नगर।

